

भारतीय समाज में दहेज के कारण और दुष्परिणाम

Mrs. Anita Mahawar

Librarian, Govt. Bangur College, Didwana, Nagaur, Rajasthan, India

सार

दहेज प्रथा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. बाल विवाह – बाल विवाह अत्यंत बुरी प्रथा है जिसके कारण लड़के या लड़कियों को स्वयं अपने जीवनसाथी चुनने का अवसर नहीं मिलता और लड़के के माता-पिता दहेज लेकर उनकी शादी कर देते हैं।
2. जीवनसाथी चुनने का सीमित क्षेत्र – जाति और उप जातियों में विवाह होने से उपयुक्त पर मिलना कठिन होता है, जिससे वर्गमूल या दहेज प्रथा का प्रादुर्भाव होता है।
3. कुलीन विवाह – कुलीन विवाह होने के कारण उच्च कुल में लड़कों की काफी कमी होती है और लड़की वालों को ऊंचे कुल में बढ़-चढ़कर दहेज देने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
4. हिंदू लड़कियों में विवाह अनिवार्य है – हिंदुओं में लड़कियों का विवाह करना अनिवार्य होता है। जिसका लाभ लड़के वालों के पिता अधिक से अधिक उठाते हैं और अत्यधिक दहेज की मांग करते हैं।

परिचय

दहेज प्रथा के लाभ अथवा गुण निम्नलिखित हैं-¹

1. दहेज के कारण अशिक्षित अयोग्य व कुरूप कन्याओं का विवाह भी बड़ी आसानी के साथ हो जाता है।
2. दहेज प्रथा के कारण बाल विवाह प्रथा का अंत हो गया क्योंकि दहेज देने की असमर्थता के कारण कन्याओं की आयु काफी बढ़ जाती है।
3. दहेज देने की असमर्थता के कारण कन्याओं की शादी काफी देर से हो पाती है। जिससे उन्हें पढ़ने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, यही कारण है कि आज देश में शिक्षण नारियों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है।
4. कन्याओं को दहेज में इतना सामान व धन मिल जाता है कि यदि उन्हें परिवार से अलग भी कर दिया जाता है तो उन्हें अपनी गृहस्थी जमाने में कोई परेशानी नहीं होती।
5. दहेज अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करता है, जिससे भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।²

दहेज प्रथा की अनेक हानियां हैं, जो निम्न हैं-

1. दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है, उसका जन्म अपशकुन माना जाता है।
2. दहेज की अधिक मांग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा होते ही मार डालते हैं।³
3. दहेज एकत्र करने एवं योग्य वर की तलाश में माता-पिता चिंतित रहते हैं। माता पिता में विवाह एवं दहेज की चिंता के कारण कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं।
4. कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव और संघर्ष पैदा होता है।⁴
5. दहेज जुटाने के लिए व्यक्ति कई अपराधों की ओर उन्मुख होता है रिश्तखोरी, चोरी, गबन, आत्महत्या, भ्रष्टाचार आदि।
6. दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रकम उधार लेनी पड़ती है या अपनी जमीन, जेवरत, मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है।

7. दहेज के अभाव में लड़कियों का देर तक विवाह ना होने पर कुछ लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति अनैतिक तरीकों से करती हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है।
8. कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कटौती करनी पड़ती है, फल स्वरूप जीवन-स्तर गिर जाता है।
9. दहेज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति कई विवाह करता है, इससे बहू पत्नीत्व का प्रचलन बढ़ता है।
10. दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर लेते हैं।⁵

विचार-विमर्श

दहेज प्रथा के निवारण के उपाय निम्नलिखित हैं-

1. समाज से अंतरजातीय विवाहों का प्रतिबंध हटा कर इनकी छूट दे देनी चाहिए। जिससे कोई भी लड़की किसी भी जाति में विवाह कर सकती है। इस प्रकार योग्य लड़कों का अभाव कम हो जाएगा और दहेज प्रथा का अंत होगा।
2. दहेज प्रथा को रोकने का प्रचार पत्र-पत्रिकाओं में फिल्मों द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि आज के युग में फिल्मों का काफी अधिक महत्व है और यह व्यक्ति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भी दहेज प्रथा को रोकने का प्रचार किया जाना चाहिए।
3. लड़कों एवं लड़कियों को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग शिक्षा एवं ज्ञान के अभाव में दहेज मांगते हैं। यदि वे शिक्षित होंगे तो उनमें बुद्धि का विकास होगा और दहेज की बुराई को समझ सकेंगे।
4. कुछ जातीय संगठनों ने दहेज प्रथा पर रोक लगाई है, उन्होंने विवाह के व्यय को सीमित किया है। इससे भी दहेज प्रथा के प्रचलन को रोकने में सहायता मिली है।
5. विवाह के संबंध में माता-पिता की समितियों का तो युवक तथा युवतियां स्वागत करें किंतु दहेज संबंधी विचारों का खुलकर विरोध करें। यदि इस पर भी माता-पिता ना सुने तो बिना दहेज के विवाह की घोषणा करें।⁶

भारतीय समाज में दहेज एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। यह मानव व्यक्तित्व को गरिमा का खुला उपहास है और वह भी महिला की गरिमा का। दहेज के चलते विवाह में कन्या के व्यक्तित्व, उसके गुणों और उसकी उपलब्धियों का कोई मूल्य है। मूल्य तो केवल इस बात का है कि उसके विवाह में उसके माता-पिता ने कितना दहेज चुकाया। यह महिला का घोर अपमान है जिसे कोई भी सभ्य समाज सहन नहीं कर सकता। कोई समाज यदि महिला का अनादर करता है, उसके गुणों व उसकी उपलब्धियों की अवहेलना करता है तो वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। दहेज प्रथा का बना रहना भारतीय समाज पर एक कलंक है, एक बदनुमा धब्बा है। जब तक हम इससे और इस तरह की अन्य कमजोरियों से निजात नहीं पाते तब तक हम एक प्रगतिशील और विकसित समाज बनाने की आशा नहीं कर सकते।⁷

दहेज प्रथा के दुष्परिणाम या कुप्रभाव इस प्रकार हैं--

1. परिवार का विघटन

अपेक्षित दहेज न मिलने पर ससुराल वाले बहु को कई प्रकार की बातें सुनाते हैं, उसे अपमानित करते हैं, इससे परिवार का विघटन होता है।

2. आत्महत्याएं

आज दिनों समाचार मिलते हैं कि ससुराल वाले कम दहेज की बात को लेकर बहु को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते थे, जिनसे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। वस्तुतः स्त्रियों द्वारा की जाने वाली आधी से अधिक हत्याओं के पीछे दहेज का कारण ही होता है। अनेक कुमारियां भी माता पिता को दहेज की चिंता से मुक्ति दिलाने हेतु स्वयं ही आत्महत्या कर लेती हैं।⁸

3. देर से विवाह

बहुत से माता-पिता चाहकर भी जल्दी दहेज नहीं जुटा पाते हैं। इससे सर्वगुणसंपन्न होने पर भी उनकी लड़कियों के विवाह बड़ी देर से हो पाते हैं। कभी-कभी तो वे आजन्म कुंवारी ही रह जाती हैं।

4. बेमेल विवाह

दहेज के बल पर धनवानों की कुरूप व दोषयुक्त कन्याएं भी अच्छा पति पा जाती हैं और गरीब परिवार की सुंदर और योग्य कन्याएं बूढ़े, कुरूप तथा अनपढ़ व्यक्तियों से ब्याह दी जाती हैं।

5. बाल-विधवाओं की समस्या

युवा कन्याओं को बूढ़ों से ब्याह देने से समाज में बाल-विधवाओं की समस्या पैदा होती है। वैधव्य जीवन नारी के लिए बड़ा कष्टमय होता है।⁹

6. बाल विवाह को प्रोत्साहन

दहेज प्रथा से बाल विवाह को भी प्रोत्साहन मिला है। माता-पिता अपनी कन्याओं का छोटी आयु में विवाह इसलिए कर देते हैं कि छोटी आयु में लड़का योग्य नहीं होता है, अतः दहेज की मांग बहुत कम की जाती है क्योंकि लड़का योग्य नहीं होता। दूसरे, लड़कियां जितनी बड़ी होती जाएंगी वे उतनी ही योग्य होती जाएंगी। योग्य कन्याओं के लिए योग्य वरों को ढूंढना पड़ेगा, जो और ज्यादा दहेज मांगेंगे।¹⁰

7. अनैतिकता और व्यभिचार में वृद्धि

दहेज के चलन के कारण अनैतिकता तथा व्यभिचार में वृद्धि होती है। यह पूर्णतया सच है। दहेज के कारण लड़कियों का बड़ी आयु तक विवाह नहीं हो पाता। वे मजबूरी में यौन आवश्यकता से बेचैन होकर व्यभिचार में फंस जाती हैं। उनकी अतृप्त वासना संयम का बांध तोड़कर उच्छृंखल हो जाती है।

8. ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहन

दहेज देने हेतु अनेक माता-पिता कर्जा लेते हैं तथा उसे चुकाने के कारण उनका जीवन स्तर गिर जाता है। फलतः परिवार को कई कष्ट सहने पड़ते हैं।

9. भ्रष्टाचार को बढ़ावा

अनेक पिता अपनी कन्याओं के विवाह के लिए दहेज जुटाने हेतु जालसाजी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, गलत धंधे करते हैं तथा चोरी तक करते हैं।¹¹

10. मानसिक रोगों में वृद्धि

भारत की ज्यादातर स्त्रियों में आज मानसिक असंतुलन उनके जीवन का अनिवार्य अंग बना हुआ है। वे अपने को पिता की आर्थिक कठिनाई का कारण समझती हैं। उन्हें लगता है कि माता-पिता पर वे बोझ बनी हुई हैं। यदि किसी तरह विवाह हो जाता है, तब उन्हें पति के निर्देश पर अपने पिता के समाने न चाहते हुए भी पुनः आर्थिक मांगे रखनी पड़ती हैं। इसके बाद भी उन्हें ससुराल में तिरस्कार का जीवन जीना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनका मानसिक संतुलन कैसे बना रह सकता है?

11. अनेक समस्याओं का जन्म

दहेज प्रथा ने अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें स्त्री शिक्षा में रूकावट, स्त्रियों की मानसिक स्थिति में असंतुलन, अपराध, हत्या या आत्महत्या, चोरी, डकैती, ऋणग्रस्तता आदि शामिल हैं।¹¹

परिणाम

भारतीय परिवारों में एक महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन विवाह के समय होती है। वधू के परिवार द्वारा उसके वर को दिया जाने वाला दहेज वर्तमान भारत में लगभग हर जगह है, और यह आम तौर पर किसी भी परिवार के सालों की कमाई से अधिक होता है। भारत सरकार दहेज को एक बड़ी सामाजिक बुराई मानती है लेकिन दहेज को समाप्त करने के लिए उनके कानूनी प्रयास निष्प्रभावी साबित हुए हैं। और यही नहीं, व्यापक शोध में प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि कैसे दहेज चुनिंदा लिंग-आधारित व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है अधिक दहेज ऐंठने की आशा में पत्नियों के साथ हिंसा का कारण बन सकता है और परिवार के निवेश संबंधी निर्णयों को बदल सकता है³⁰

अर्थशास्त्र में दहेज पर प्रचुर सैद्धांतिक साहित्य मौजूद है जिसमें दहेज के अस्तित्व में रहने की संभावित व्याख्या करने वाले अनेक मॉडल उपलब्ध हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि इन व्याख्याओं की जांच के लिए, या यह दर्शाने के लिए कि समय के साथ भारत में दहेज का कैसे उद्भव हुआ है, बहुत कम परिमाणात्मक प्रमाण मौजूद हैं। हमारे विश्लेषण का लक्ष्य दुहरा है: पहला तो यह कि भारत में बीसवीं सदी के अधिकांश हिस्सों में वैवाहिक प्रचलनों और दहेज के बारे में तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए हमने अनेक डेटासेट का उपयोग किया है। और दूसरा यह कि इन आंकड़ों का उपयोग हमने दहेज के विकास पर मौजूद विभिन्न सिद्धांतों की प्रमाण-आधारित जांच के लिए किया है। दहेज के मूल कारण को समझना उपयुक्त नीतिगत प्रतिक्रियाएँ तैयार करने के लिए उपयोगी है।¹²

वैवाहिक प्रचलनों और दहेज भुगतान पर जानकारी के लिए हमने तीन मुख्य डेटासेट का उपयोग किया है: (क) ग्रामीण आर्थिक एवं जनसांख्यिक सर्वेक्षण (आरईडीएस - रेड्स)¹, जिसमें भारत में 1930 से 1995 के बीच हुए 72,093 विवाहों और उनमें दहेज भुगतान से संबंधित सूचनाएं मौजूद हैं, (ख) भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण (आइएचडीएस), और (ग) राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)। अंतिम दोनो सर्वे कई चक्रों वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण हैं।²⁹

भारत में वैवाहिक प्रचलनों का विकास

जैसा कि दूसरे शोध अध्ययनों में भी दर्शाया गया है, भारत में कुछ वैवाहिक प्रचलनों में बीसवीं सदी के दौरान बहुत मामूली बदलाव ही दिखे हैं :

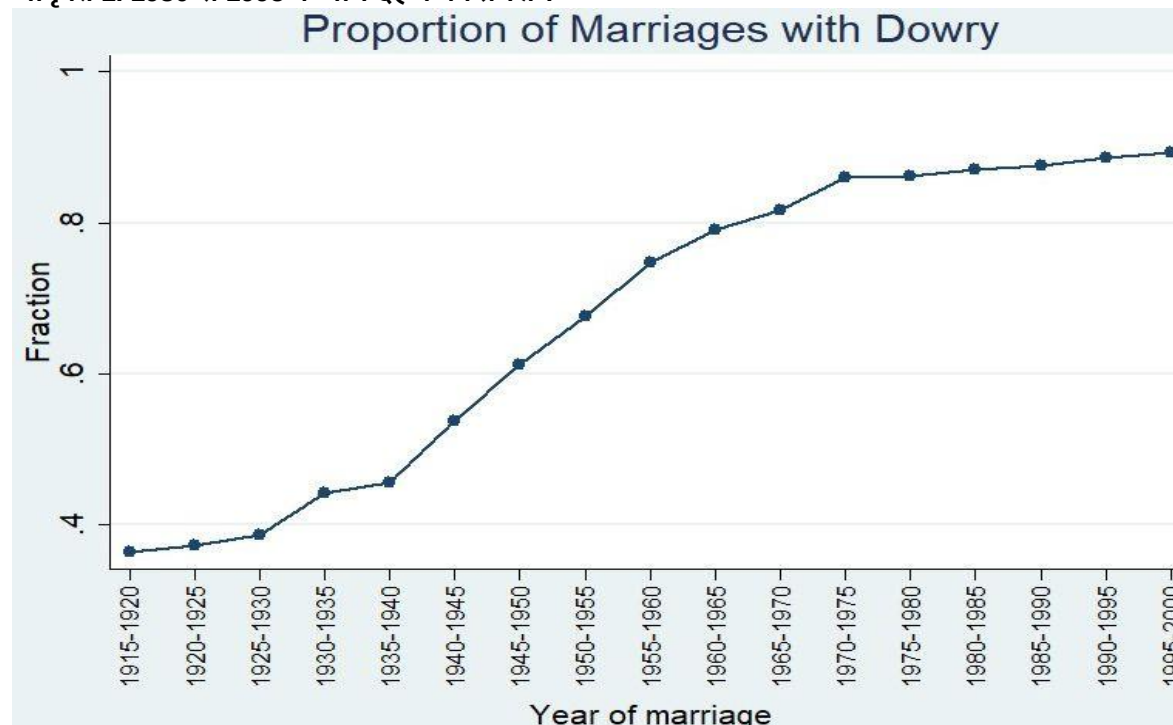
- i. आज भी 90 प्रतिशत से अधिक विवाह पहले की ही तरह दंपति के माता-पिता द्वारा “आयोजित” होते हैं। हालांकि विवाहों का वो हिस्सा जिसमें वर-वधू की बात को भी कुछ महत्व मिलता है, वह 1960 में 20 प्रतिशत से दोगुना होकर 2005 में 40 प्रतिशत हो गया।²⁸
- ii. विवाह छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में ही संकेंद्रित रहते हैं। 80 प्रतिशत वधुओं का विवाह उसी के जिले में रहने वाले वरों से होता है, और वर-वधू के घरों के बीच यात्रा का औसत समय लगभग 3 घंटे होता है।

- iii. जैसी कि ऐतिहासिक स्थिति भी रही है, 95 प्रतिशत विवाह एक ही जाति (उप-जाति समूह) के लड़के-लड़कियों के बीच होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर्जातीय विवाहों की दर आज भी लगभग वही है जो 1950 में थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में इसमें लगभग 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है।¹³

दहेज का प्रचलन

पिछली सदी में जहां कुछ वैवाहिक प्रचलनों में कोई बदलाव नहीं हुआ, वहीं दहेज के प्रचलन में काफी बदलाव आया है। जैसा कि नीचे दी गयी आकृति 1 में दर्शाया गया है, 1940 के पहले लगभग 40 प्रतिशत विवाहों में ही दहेज दिए जाते थे। वहीं, 1940 से 1975 के बीच पूरे भारत में दहेज अपनाने के मामले में काफी तीव्रता आई और 1975 तक लगभग 90 प्रतिशत विवाहों में दहेज भुगतान किया जाने लगा।²

आकृति 1. 1930 से 1995 के बीच दहेज का प्रचलन



दहेज भुगतान का विकास

जैसे-जैसे दहेज का प्रचलन बढ़ता गया, दहेज भुगतान की औसत रकम भी उसी लिहाज से बढ़ती गई। वर्ष 1940 और 1970 के बीच दहेज भुगतान का माध्य औसत तिगुने से भी बढ़कर लगभग 5,000 रु. से 15,000 रु. हो गया (2010 में रुपए के मूल्य के आधार पर)। दहेज में व्यापक वृद्धि की प्रचलित धारणा के विपरीत 1970 से दहेज भुगतान का माध्य औसत वास्तविक अर्थों में मोटे तौर पर बराबर ही रहा है।³ हालांकि केवल माध्य औसत पर ध्यान एकत्रित करने से दहेज भुगतानों के वितरण में हुए महत्वपूर्ण बदलाव छुप जाते हैं।¹⁴

नीचे दी गयी आकृति 2 में 1940 से 2000 के बीच के हर दशक के लिए वास्तविक दहेज भुगतानों के संपूर्ण वितरण का डेंसिटी प्लॉट दर्शाया गया है। रेखा (कर्व) की ऊंचाई किसी निजी दशक में उतने दहेज देकर हुए विवाहों के अनुपात को दर्शाती है। दहेज भुगतान के विकास को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है:

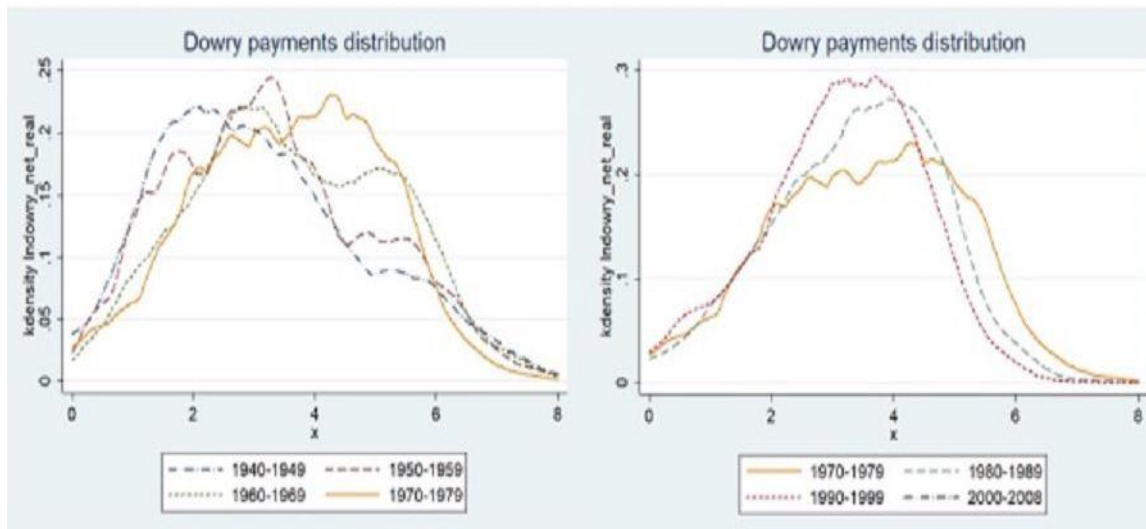
वर्ष 1970 के पहले: जैसा कि आकृति 2अ में दर्शाया गया है कि 1940 से 1970 के बीच के दौर में दहेज भुगतान बढ़ा है, इस परिघटना को पहले के सहोदरकरताओं ने “दहेज-स्फीति” (डाउरी इनफ्लेशन) नाम दिया है इस अवधि में दहेज भुगतानों के सारे वितरण दायीं ओर खिसके हैं जो यह दर्शाता है कि सभी सामाजिक-आर्थिक हैसियत वाले व्यक्तियों ने दहेज की रकम में वृद्धि देखी है।²⁸

वर्ष 1970 के बाद: पारंपरिक समझ यही है कि दहेज भुगतान की मात्रा में वृद्धि आज तक जारी है। हालांकि जैसा कि आकृति 2ब में दर्शाया गया है, यह पैटर्न वास्तव में अधिक जटिल है।²⁷ दहेज भुगतान के वितरण के निचले हिस्से में बहुत कम बदलाव आया है जो यह दर्शाता है कि निम्न सामाजिक-आर्थिक हैसियत वाले व्यक्तियों ने इस अवधि में दहेज भुगतान में बहुत अंतर अनुभव नहीं किया है। हालांकि, दहेज संबंधी वितरण के ऊपरी प्रतिशत वाले हिस्सों में दहेज में काफी गिरावट आया है, जो यह दर्शाता है कि 1970 के बाद की अवधि में संपन्न परिवार अपेक्षाकृत कम दहेज लेने-देने लगे हैं।¹⁵

आकृति 2. 1940 से 2000 के बीच दहेज भुगतान का विकास

2अ. 1940-1980

2ब. 1970-2000



नीचे आकृति 3 में यह जांच किया गया है कि परिवार की वार्षिक आय की तुलना में दहेज भुगतान कैसे बदला है।⁴ आकृति 2ब में देखी गयी दहेज भुगतान में कमी, पारिवारिक आय की तुलना में दहेज में हो रही गिरावट के अनुरूप ही है। हालांकि, दहेज भुगतान की मात्रा काफी है और दहेज भुगतान का माध्य औसत वार्षिक आय से अभी भी अधिक है।²⁶

आकृति 3. दहेज पारिवारिक आय के हिस्से के रूप में

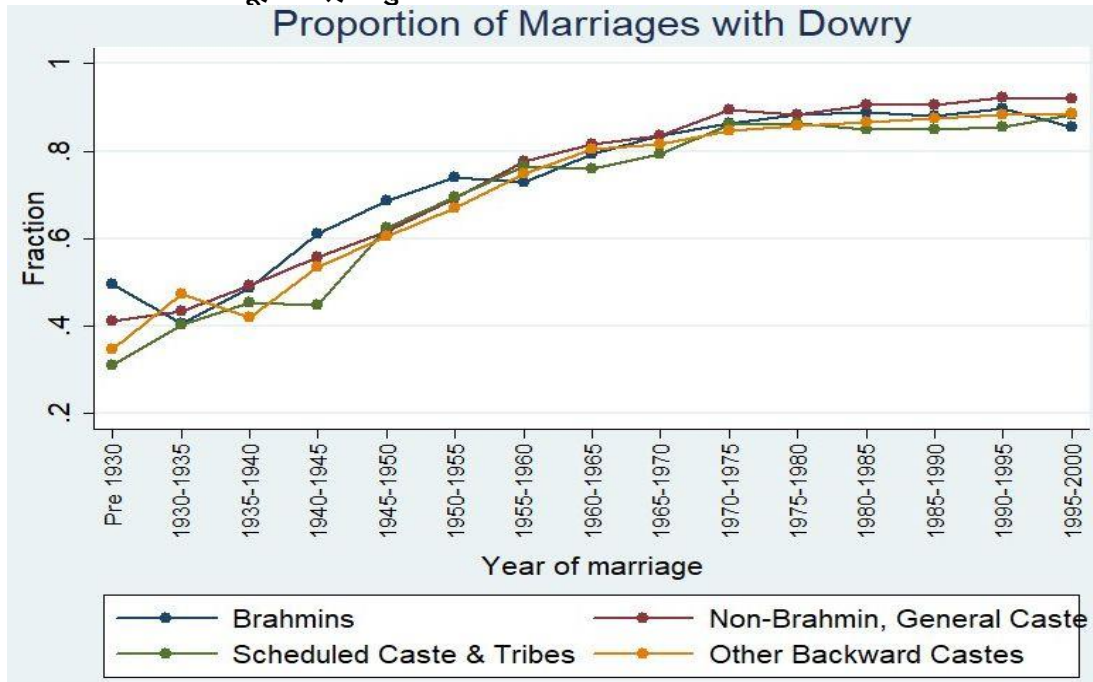


दहेज के विकास पर मौजूद सिद्धांतों की जांच के लिए डेटा का प्रयोग

इसके बाद हमने अपने डेटा का उपयोग करके भारत में दहेज के विकास पर मौजूद चार प्रमुख सिद्धांतों की जांच-परख की है।²⁵

“संस्कृतिकरण”: दहेज के प्रचलन में आए बदलाव की प्रसिद्ध व्याख्या श्रीनिवास (1984) की संस्कृतिकरण की परिकल्पना है। इस सिद्धांत में प्रस्तावित है कि दहेज का प्रचलन हमेशा से उच्च जातियों में रहा था, और उच्च जातियों की नकल करने के कारण यह निम्न जातियों में भी फैला। इस नकल का कारण निम्न-जातीय समूहों द्वारा अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने (‘संस्कृतिकरण करने’) के लिए उच्च-जातीय समूहों के आचरणों की नकल करने के प्रयास को बताया जाता है। नीचे दिया गया आकृति 4 दर्शाता है कि यह सिद्धांत दहेज वृद्धि की व्याख्या नहीं कर सकता है। दोनों निम्न-जातीय और उच्च-जातीय समूहों ने लगभग एक ही समय में और एक ही दर से दहेज को व्यापक रूप से अपनाना शुरू किया।¹⁶

आकृति 4. व्यापक जातीय समूहों में दहेज भुगतान



लिंग अनुपात और दहेज : एक अन्य सिद्धांत में दहेज में बदलाव को जनसंख्या वृद्धि के कारण लिंग अनुपात में हुए बदलाव का परिणाम तर्क के आधार पर उचित बताया गया है ²⁴ पुरुष महिलाओं की अपेक्षा अधिक उम्र में शादी करते हैं इसलिए जब जनसंख्या बढ़ती है, जैसा कि भारत के मामले में 1950 और 1960 के दशकों में हुआ, तो विवाह की उम्र वाले पुरुषों की तुलना में विवाह की उम्र वाली महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप होने वाले “वैवाहिक दबाव” (मैरिज स्क्वीज) में अपेक्षाकृत कम वरों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से दहेज में वृद्धि हो सकती है। इन अनुमानों के विपरीत हमने ऐसा नहीं पाया कि विवाह के बाजार में मौजूद लिंग अनुपात का दहेज के प्रचलन या उसकी मात्रा से कोई संबंध है। बल्कि, एंडर्सन (2007) द्वारा सैद्धांतिक रूप से दर्शाया है कि विवाह की उम्र में बदलाव होने से इस “दबाव” में कमी नज़र आती है, जब वर एवं वधू के उम्र का औसत अंतर कम होता है।¹⁷

आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, और दहेज : एंडर्सन (2003) ने दहेज में वृद्धि को आधुनिकीकरण के दौरान संपत्ति का फैलाव बढ़ने और उसके साथ-साथ वरों को लेकर जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से जोड़ा है। इस सिद्धांत का मुख्य तत्व यह है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी ऊंची हैसियत वाली जाति के पुरुषों से करना चाहते हैं, और उसे निम्न-जातीय पुरुषों के साथ विवाह की तुलना में काफी अधिक तरजीह दी जाती है। वरों में यह जाति-आधारित प्रतिस्पर्धा होने एवं वरों की गुणवत्ता में बढ़े हुए फैलाव के कारण दहेज-स्फीति (डाउरी इनफ्लेशन) पैदा होती है (मॉडल की अधिक जानकारी के लिए आलेख देखें)। हमने इस मॉडल के एक मुख्य पूर्वानुमान का प्रमाण आधारित जांच किया कि निम्न-जातीय वरों की गुणवत्ता में विस्तार होने के कारण उच्च जातियों में दहेज-स्फीति की स्थिति पैदा होगी। हमें जातियों के बीच इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का कोई प्रमाण नहीं मिला क्योंकि वास्तविक संभावना यही होती है कि लोग उच्च जाति के बजाय अपनी जाति समूह में शादी करना ही पसंद करते हैं ²³

दहेज और वर की गुणवत्ता: हमने प्रमाण उपलब्ध कराया कि दहेज में वृद्धि का कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वर की गुणवत्ता में बढ़ते अंतर को माना जा सकता है जो एंडर्सन और बिडनर (2010) के सैद्धांतिक मॉडल के अनुरूप

है। 1930 और 1940 के दशकों से ही प्राथमिक शिक्षा अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होती गई और भारतीय पुरुषों को अच्छे भुगतान वाले वर्गों एवं वेतनभोगी पदों पर काम उपलब्ध होने लगा था। अधिक शिक्षित और संपन्न वर अधिक दहेज की मांग कर सकता था क्योंकि विवाह के बाजार में उन विशेषताओं का बड़ा महत्व होता है। ऊंची गुणवत्ता वाले वरों की संख्या बढ़ने से दहेज की रकम में स्फीति पैदा की हो सकती है।¹⁸

एक ही पंचवर्षीय अवधि में विवाह बाजार में परिवार के नजदीकी सदस्यों को होने वाले दहेज भुगतान में परिवर्तन करके हमने प्रमाणित किया कि वर की 'गुणवत्ता' उनको मिलने वाले दहेज का महत्वपूर्ण निर्धारक होती है। चूंकि लगभग सभी अपने जाति समूह में ही विवाह करते हैं, हमने विवाह बाजार के इस बंटवारे का प्रयोग करके यह दिखाया कि यह अपने जाति समूहों में वरों की सापेक्ष रैंकिंग के कारण नहीं होकर शिक्षा के पूरे किए गए वर्षों का प्रतिफल (रिटर्न) है। दहेज-स्फीति वरों की बढ़ती गुणवत्ता के साथ-साथ, शिक्षा से प्राप्त होने वाले प्रतिफल से भी होनी चाहिए।²²

एक बचा सवाल है कि 1975 के बाद की अवधि में बड़े दहेज भुगतानों में गिरावट क्यों आई। हमने इसका कारण यह दर्शाया है कि विवाह बाजार का चरित्र-चित्रण सबसे अच्छी तरह से "सर्च (जांच) मॉडल" द्वारा किया जाता है जिसमें संभावित वरों और वधुओं का मिलान किया जाता है और दहेज पर मोलतोली की जाती है।²¹ अगर संभावित वर-वधु किसी दहेज पर सहमत हो जाते हैं तो उनका विवाह होता है। वहीं, ऐसा नहीं होने पर उनका विवाह नहीं होता है और अन्य जोड़ीदारों से पुनः मिलान किया जाता है। बेहतर गुणवत्ता वाले वरों को अधिक दहेज मिलेगा क्योंकि वधुओं को उनके साथ जोड़ी बनाने की बेहतर उपयोगिताएँ मिलती हैं। इसलिए वधुएँ दुबारा मिलान के बजाय अधिक दहेज पर उनके साथ जोड़ी बनाना पसंद करती हैं। हालांकि जैसे-जैसे ऊंची गुणवत्ता वाले वरों की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ती जाती है, दुबारा मिलान की स्थिति में ऊंची गुणवत्ता वाला वर मिलने की संभावना भी बढ़ती जाती है। फलतः उच्च गुणवत्ता वाले वरों के मामले में दहेज की संभावित रकम घट जाती है, जो उच्च मूल्यों वाले दहेजों में कमी के साथ संगतिपूर्ण है (मॉडल आलेख में देखें)। हम डेटा में ठीक यही पैटर्न पाते हैं : किसी क्षेत्र में शिक्षित वरों का समूह जैसे-जैसे बढ़ता है, वैसे-वैसे वह अधिक शिक्षित वरों को मिलने वाले दहेज की बढ़ती को घटाता जाता है। एंडरसन और बिडनर (2010) के मॉडल के अनुरूप ही इस सर्च (जांच) मॉडल के जरिए पिछली सदी में दहेज भुगतान पूरे ट्रैक रेकॉर्ड का बेहतर व्याख्या हो जाता है।¹⁹

निष्कर्ष

पिछली सदी में भारत में विवाहों के कुछ पहलू तो एक जैसे ही रहे हैं (जैसे कि अंतर्जातीय विवाहों की निम्न दरें), लेकिन अन्य पहलुओं में काफी बदलाव आया है। हमारा शोध, दहेज भुगतानों के विकास तथा दहेज अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए बड़ी वित्तीय लेनदेन कैसे बनते चले गए, इन दोनों बातों पर केन्द्रित है। हमने यह भी दिखाया है कि किसी खास वर को विवाह के मामले में मिलने वाले प्रतिफल पर आधारित विवाह बाजारों का एक सरल मॉडल किस तरह से बदलावों के समय और प्रकार को कैसे समझा सकता है। भविष्य के कार्यों में इन विचारों को नीति में लागू करने पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए जो दहेज के अधिकांश नुकसानदेह परिणामों का निवारण कर सके।²⁰

संदर्भ

1. "- मनीकंट्रोल डॉट कॉम"। 8 मार्च 2007। मूल से 11 जनवरी 2011 को पुरालेखित।
2. ^ रानी जेठमलानी और पीके डे (1995)। कलियुग में दहेज से होने वाली मौतें और न्याय तक पहुंच: अधिकारिता, कानून और दहेज से होने वाली मौतें। पीपी। 36, 38।
3. ^ पारस दीवान और पीयूषी दीवान (1997)। दहेज, दहेज हत्या, दुल्हन को जलाने, बलात्कार और संबंधित अपराधों से संबंधित कानून। दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब। कंपनी पी। 10.
4. ^ वहीद, अब्दुल (फरवरी 2009)। "भारतीय मुसलमानों में दहेज: आदर्श और व्यवहार"। इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज। 16(1): 47-75। डीओआई:10.1177/097152150801600103। एस2सीआईडी142943653.
5. ^ एंडरसन, सीवान (2007)। "द इकोनॉमिक्स ऑफ दहेज एंड ब्राइड प्राइस"। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। 21(4): 151-174। डीओआई:10.1257/जेप.21.4.151। एस2सीआईडी13722006.
6. ^ अनीता राव और स्वेतलाना सांद्रा कोरेया (2011)। दहेज पर प्रमुख मामले। नई दिल्ली: नई दिल्ली: ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क.
7. ^ "धारा 498ए के तहत गैरकानूनी हिरासत में पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी"। कानूनी दुनिया में। 8 दिसंबर 2010 को मूल से संग्रहीत। 7 दिसंबर 2010 को पुनः प्राप्त।

8. ^ राव, सीएन शंकर (2010)। भारतीय सामाजिक समस्याएं। एस चंद। पी। 238. आईएसबीएन 978-93-848-5795-0.
9. ^ "दहेज निषेध अधिनियम, 1961"। 15 मई 2010 को मूल से संग्रहीत।
10. ^ "दहेज निषेध अधिनियम, 1961"। मूल से 27 जनवरी 2010 को पुरालेखित।
11. ^ मंचंदिया, पूर्ण (2005)। "भारत में दहेज प्रथा और दुल्हन-दाह को खत्म करने की दिशा में व्यावहारिक कदम"। तुल। जे. इंटरनेशनल एंड कॉम्प. एल। 13: 305–319.
12. ^ स्पैटज़, मेलिसा (1991)। "एक "कम" अपराध: पुरुषों के लिए कानूनी सुरक्षा का एक तुलनात्मक अध्ययन जो अपनी पत्नियों को मारते हैं"। कोलम। जेएल एंड सोसाइटी। जांच। 24: 597, 612.
13. ↑ "मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना दहेज विरोधी कानून के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं: एससी"। टाइम्स ऑफ इंडिया। मूल से 7 जुलाई 2010 को पुरालेखित।
14. ^ "दहेज, एक प्राचीन भारतीय प्रथा"। gulfnews.com। 2 सितंबर 2010 को पुनःप्राप्त।
15. ^ विट्जेल, माइकल। "लिटिल दहेज, नो सती: द लॉ ऑफ वीमेन इन द वैदिक पीरियड"। दक्षिण एशिया महिला अध्ययन जर्नल 2, संख्या। 4 (1996)।
16. ↑ जेम्स जी. लोचटेफेल्ड, द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म: एएम, रोसेन पब्लिशिंग, आईएसबीएन 9780823931798 ; 203 पे-जें।
17. ↑ जॉन वॉटसन मैकक्रिडल (अनुवादक), एरियन, आर्किबाल्ड कॉन्स्टेबल एंड कंपनी (वेस्टमिंस्टर, यूके) द्वारा वर्णित अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा भारत का आक्रमण: 280 पे-जें।
18. ^ जेडब्ल्यू मैकक्रिडल (अनुवादक), मेगस्थनीज और एरियन [स्थायी मृत लिंक], टूबनेर एंड कंपनी (लंदन): 222 पे-जें।
19. ↑ सीवी वैद्य, एपिक इंडिया, ओर, इंडिया एज़ डिस्क्रिप्शन इन द महाभारत एंड रामायण, आईएसबीएन 978-8120615649
20. ^ एडवर्ड साचौ (अनुवादक), बिरूनी, मुहम्मद इब्न अहमद, अलबरूनी का भारत (खंड 2), केगन पॉल, ट्रेच, टूबनेर एंड कंपनी (लंदन, 1910) अध्याय LXIX: 154 पे-जें।; अल-हिंद भी देखें।
21. ^ सोनिया ; _____ परीना जी लॉरेस (2005)। "द इंस्टीट्यूशन ऑफ दहेज इन इंडिया: व्हाई इट कंटीन्यू टू प्रिवेल"। द जर्नल ऑफ डेवलपिंग एरियाज। 38(2): 71–93। डीओआई:10.1353/jda.2005.0018। एस2सीआईडी154992591.
22. ^ मजूमदार, माया (2005)। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लैंगिक समानता का विश्वकोश। सरूप एंड संस। पी। 74. आईएसबीएन 9788176255486.
23. ↑ लुसी कैरोल (1991), डॉटर्स राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडिया: ए पर्सपेक्टिव ऑन द प्रॉब्लम ऑफ दहेज, मॉडर्न एशियन स्टडीज़, वॉल्यूम। 25, संख्या 4, पृष्ठ 791-809
24. ^ टीज, वांडा (1991)। "द बर्निंग ब्राइड: द दहेज प्रॉब्लम इन इंडिया"। जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट स्टडीज़ इन रिलिजन। 7(2): 29–52।
25. ^ राव, वीवी प्रकाश; वी. नंदिनी राव (1980). "भारतीय विवाह में दहेज प्रथा: दृष्टिकोण, उम्मीदें और व्यवहार"। परिवार के समाजशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 10(1): 99-113।
26. ^ श्रीनिवासन, पद्मा; गैरी आर ली (2004)। "उत्तरी भारत में दहेज प्रथा: महिलाओं का दृष्टिकोण और सामाजिक परिवर्तन"। विवाह और परिवार का जर्नल। 66(5): 1108–1117। डीओआई:10.1111/जे.0022-2445.2004.00081.x।
27. ^ कृष्णास्वामी, सरोजा (1995)। "दहेज के प्रति विवाहित और अविवाहित कामकाजी महिलाओं के रवैये को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों की गतिशीलता"। परिवार के समाजशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 25 (1): 31-42।
28. ^ शारदा ; अर्जुन एस बेदी (2007)। "घरेलू हिंसा और दहेज: एक दक्षिण भारतीय गांव से साक्ष्य"। विश्व विकास। 35(5): 857-880। डीओआई:10.1016/जे.वर्ल्डदेव.2006.08.005। एचडीएल: 1765/19188।
29. ^ सीजर, जोनी (2009)। दुनिया में महिलाओं का पैंगुइन एटलस। न्यूयॉर्क: पैंगुइन समूह।
30. ^ मिटर, सारा एस। (1991)। धर्म की बेटियां: समकालीन भारतीय महिलाएं और हिंदू संस्कृति। रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 112.